न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. भोपाल बेंच

निग-36/1-16 प्रकरण क्र. /निगरानी/16–17

1. रामलखन आ. अवधनारायण आयु 40
   वर्ष जाति देशवाली निवासी ग्राम पुराछिंदवाड़ा,
   तहसील हुजूर जिला हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

1. रामस्वरूप आ. हरिनारायण देशवाली
   आयु 45 वर्ष कृषक ग्राम सतपोन,
   तहसील श्यामपुर निवासी ग्राम पुराछिंदवाड़ा,
   तहसील हुजूर जिला हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा
   तह. श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र.

.....अनावेदक

निगरानी भू – राजस्व सहिता की धारा 50 के तहत

महोदय,

विन्रम निवेदन है कि अनावेदक द्वारा ग्राम सतपोन तह. श्यामपुर जिला सीहोर की भूमि खसरा न. 147/116/1/2 का सीमांकन कराने के दौरान अनावेदक क्र. 2 द्वारा आवेदक को सीमांकन की कोई सूचना जारी नही की गई और अवैध तरीके से सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की गई, जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा कब्जा प्राप्ति हेतु व्यवहारवाद प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक को सीमांकन की जानकारी हुई जानकारी प्राप्त होने के तत्काल बाद दिनॉक 06 अक्टूबर 2016 को सीमांकन प्रकरण क्र 38/अ–12/15–16 न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तह. श्यामपुर जिला सीहोर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सीमांकन आदेश दिनॉक 29/06/16 के विरूद्ध जानकारी प्राप्त होने के आधार पर समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :–

1. यह कि आवेदक ग्राम पुरा छिंदवाड़ा तह. हुजूर जिला भोपाल का कृषक है और अनावेदक ग्राम सतपोन तह. श्यामपुर जिला सीहोर का कृषक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 38/अ–12/15–16 में दिनॉक 25/05/16 को राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना पत्र रामनिवास आ. हरिनारायण को जारी किया गया है

(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3671 - II/16 जिला- सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 20/12/2018 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार दोराहा के प्रकरण क्रमांक 38/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 29/6/16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	